केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00036
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00551
अपीलकर्ता श्री राजू बाबूराव मेश्राम
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.12.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	13.12.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.01.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	22.01.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	29.01.2025
निर्णय की तारीख	21.02.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) महोदया मैंने दिनांक 09.12.2022 को माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत एसबीआई, स्वस्तिक पार्क ब्रैंच, चेम्बूर, मुंबई इन्हे जानकारी मांगी थी। महोदय मद 01 में मैंने जो जानकारी मांगी थी वह मुझे एस.बी.आय, स्वस्तिक पार्क ब्रेंच, चेम्बूर,मुंबई से आज तक प्राप्त नहीं हुई है। तत्कालिन उपशाखाप्रबन्धक श्री राजकुमार कापगते एसबीआई, स्वस्तिक पार्क ब्रैंच, चेम्बूर मुंबई द्वारा जाँच हेतु मुझसे विभिन्न फार्म पर जो हस्ताक्षर लिए गए थे इस हेतु एसबीआई द्वारा

समिति गठित की गई थी, कौन से अधिकारी शामिल थे, इस जाँच में क्या पाया गया, एक लाख रूपए का ONLINE FINANCIAL FRAUD श्री राजू बाबूराव मेश्राम एवं श्रीमती पोर्णिमा राजू मेश्राम के संयुक्ति खाता क्रमांक 10781888014 से किसने किया है, कौन से शहर से किया गया है, कौन थे वह जिन्होंने यह ठगी की, इससे अनभिग रखा गया है। अतः महोदया इस संबंध में आपके द्वारा दिनांक 06.11.2024 को की नई सुनवाई (HEARING) में एसबीआय, स्वास्तिक पार्क ब्रैंच, चेम्बूर, मुंबई से मुझे जानकारी ना देने के आपके आधार एवं यथायोग्य शासकीय नियम से अवगत कराने का कष्ट करें।

2.) महोदया जैसा कि आपको ज्ञात है श्री राजू बाबूराव मेश्राम एवं श्रीमती पूर्णिमा राजू मेश्राम के संयुक्ति खाता क्रमांक 10781888014 से राशि रुपया एक लाख का ONLINE FINANCEIAL FRAUD हुआ है। ONLINE FINANCIAL FRAUD से संबंधित ठगी गई राशि रुपया एक लाख अज्ञात द्वारा एसबीआय, स्वास्तिक पार्क बैंच, मुंबई से ही निकाली गई है ऐसी अवस्था में अज्ञात द्वारा ठगी गई राशि प्राप्ति हेतु एसबीआय द्वारा कार्यवाही से अवगत कराने हेतु दिनांक 09.12.2022 को माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत एसबीआय, स्वस्तिक पार्क ब्रैंच, चेम्बूर, मुंबई इन्हे मद 02 में जानकारी मांगी थी। इस संबंध में आपके द्वारा दिनांक 06.11.2024 को की गई सुनवाई में एसबीआय, स्वास्तिक पार्क ब्रैंच, चेम्बूर, मुंबई से मुझे जानकारी ना देने के आपके आधार से एवं यथायोग्य शासकीय नियम से अवगत कराने का कष्ट करें।

1.) कृपया आपके द्वारा अपील अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और फोन नंबर उपलब्ध करवाए।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 07.01.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

1.	FAA's Name & Designation	: Brig. Vipin Chakrawarti, Registrar& FAA
2.	Address	: CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg,
	Munrika New Delhi – 110067	
3.	Email	: registrar-cic@nic.in
4.	Phone No.	: 011-26105021

3. प्रथम अपील का आधार

"महोदय उल्लेखनीय है कि दो वर्ष के आसपास का समय लेकर जानकारी ना देकर केवल गलती है यह कहकर केवल पांच मिनट के भीतर माननीय सुश्री आनंदी रामलिंगम द्वारा जानकारी से अनभिग रखकर आदेश जारी कर देना यह सर्वथा अनुचित है। इस कारणवश दिनांक 06.12.2024 को मैंने

इसी आदेश से संबंधित आधार की जानकारी मांगी थी किन्तु जानकारी ना देकर CIC New Delhi के पत्र संख्या CICOM/R/P/24/00551 dated 07.01.2025 द्वारा प्रथम अपील दायर करने हेतु कहा गया है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा मेरे आरटीआई आवेदन दिनांक 06.12.2024 का जवाब ना देकर प्रथम अपील दायर करने हेतु कहना RTI Act 2005 के कौन से नियम अंतर्गत कहा गया है इसका उल्लेख Dated 07.01.2025 के पत्र में नहीं है कृपया इसका संज्ञान लें।
अतः महोदय सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा RTI Act 2005 के विषय प्रथम अपील आवेदन पर कार्यवाही कर कृपया यथोचित जानकारी उपलब्ध कराये।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00551 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00551 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक :21.02.2025

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
21 FEB 2025
D. No.........
Initials.........

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली। 21/2/25

2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

21/2/25

o/c